न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–56/2009
स्टेट बनाम आरीफ उर्फ लल्लू।
अपराध संख्या– 47/2009,
अं०धारा– 8/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट,
थाना- सरायमीर।

दिनांक 02.09.2025–

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अनुशीलन से यह विदित होता है कि अभियुक्त आरीफ उर्फ लल्लू लंबे समय अनुपस्थित चला आ रहा है। अभियुक्त के प्रति अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से गैर जमानतीय अधिपत्र व धारा 82 सी.आर.पी.सी की प्रक्रिया जारी है, जिसमें से एक भी प्रक्रिया न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हो पायी है।

आदेश

पत्रावली में अग्रिम तिथि 15.10.2025 नियत है। अभियुक्त आरीफ उर्फ लल्लू को पुनः गैर जमानतीय अधिपत्र व धारा 82 सी.आर.पी.सी. की प्रक्रिया जारी हों। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, को इस उद्देश्य के साथ प्रषित हो कि पत्रावली की प्राचीनता को देखते हुए प्रकरण में रूचि लेकर के आवश्यक कार्यवाही करना कर, इस न्यायालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि पत्रावली का निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मन्शा के अनुरूप यथाशीघ्र किया जा सकें।

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–01, आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.09.02 13:33:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court